न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 94/2025

अनवान:–

1 विकास पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम्

1. अभयराम
2. ओमप्रकाश

पि0 पूराराम जाति जाट निवासी जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. मदनलाल
4. रूघवीर

पि0 हीराराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. पार्वती देवी पुत्री हीराराम पत्नी रणजीत कुमार जाति जाट निवासी सिहागवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. कमलादेवी पुत्री हीराराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

7. कलावती पत्नी आदराम
8. मन्जू
9. जीना
10. गिरदावरी देवी

पि0 आदराम जाति जाट निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

11. राजेन्द कुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थितिः–श्री सुभाष गर्ग प्रार्थीगण

श्री करनैलसिंह अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 18/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 के नाम से चकनं0 3 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में कुल 1.1810 है0 आराजी तथा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम से चकनं0 3 एम.एस.टी. एस एम के खाता सं0 8/8 में कुल 0.5560 है० ब०हि०ब०, अप्रार्थी सं० 3 ता 6 की माता, 8 ता 10 की दादी, पदमादेवी के नाम से चकनं0 3 एम. एस. टी. एस के खाता सं0 59/58 में कुल 0.810 है० आराजी, अप्रार्थी सं0 4 के नाम से चक नं0 3 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता सं0 86/85 में कुल 1.181 है० आराजी व इसी चक के खाता सं0 87/100 में कुल 0.405 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयॉया संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण सं0 3 ता 6 की माता व अप्रार्थीगण सं0 8 ता 10 की दादी पदमा

देवी फौत हो चुकी है, इसलिए उनके वारिसान को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व काश्त के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 अपनी भूमि में काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण सं0 1 ता 10 की कृषि भूमि चक 3 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8,13 में से होकर अपनी कृषि भूमि चक 3 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 18 में प्रवेश करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है लेकिन राजस्व रिकार्ड में मन्जूर नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 को अपनी आराजी में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज चालू रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी वाकें चक नं0 3 एम.एस.टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8,13 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण .018 है० चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जूर करवाना चाहता है । रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं० 1 को डीएलसी रेट के अनुसार राशि देने के लिए तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं० 1 ता 10 को निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर गै०मु० रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गयी, बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है जो अन्दर मियाद तथा काबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की आराजी वाकें चक नं0 3 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8, 13 के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण 018 है० चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 के नाम से चकनं0 3 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में कुल 1.1810 है0 आराजी तथा अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम से चकनं0 3 एम. एस. टी. एस एम के खाता सं0 8/8 में कुल 0.5560 है० ब०हि०ब०, अप्रार्थी सं0 3 ता 6 की माता, 8 ता 10 की दादी, पदमादेवी के नाम से चकनं0 3 एम.एस.टी. एस के खाता सं0 59/58 में कुल 0.810 है० आराजी, अप्रार्थी संव 4 के नाम से चक नं0 3 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं0 86 /85 में कुल 1.181 है० आराजी व इसी चक के खाता सं0 87/100 में कुल 0.405 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 11 को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व काश्त के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है । प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी भूमि में काश्त करने के लिए कृषि भूमि चक 3 एम.एस.टी. एस.एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8,13 में से होकर अपनी कृषि भूमि चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 18 में प्रवेश करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। किला नं0 3 की भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की दफा

4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी वाकै चक नं0 3 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8,13 प्रत्येक किला के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण .018 है० चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जूर किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 लाइलमी दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं0 3 एम.एस.टी.एस.एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8, 13 प्रत्येक किला के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण .018 है0 चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जूर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में मै०मुद रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 11 की ओर से निम्न प्रकार से है:– प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है ॥ प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 के नाम से चकनं0 3 एम. एस.टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में कुल 1.1810 है0 आराजी तथा अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम से चकनं0 3 एम. एस. टी. एस एम के खाता सं0 8/8 में कुल 0.5560 है0 ब०हि०ब०, अप्रार्थी सं0 3 ता 6 की माता, 8 ता 10 की दादी, पदमादेवी के नाम से चकनं0 3 एम.एस.टी. एस के खाता सं0 59/58 में कुल 0.810 है० आराजी, अप्रार्थी सं0 4 के नाम से चक नं0 3 एम.एस.टी. एस. एम. के खाता सं0 86/85 में कुल 1.1810 है० आराजी व इसी चक के खाता सं0 87/100 में कुल 0.405 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार है॥ प्रार्थी व मुझ अप्रार्थी सं० 11 को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व काश्त के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है॥ प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 अपनी भूमि में काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण सं० 1 ता 10 की कृषि भूमि चक 3 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8,13 में से होकर अपनी कृषि भूमि चक 3 एम.एस.टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 18 में प्रवेश करते चले आ रहे है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। किला नं0 3 की भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में बली आ रही है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है॥ प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 11 को अपनी आराजी में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है॥ प्रार्थी, अप्रार्थीगण की आराजी चक नं0 3 एम.एस.टी. एस. एम. के प0न0 185/339 मु० 31 किलानं0 3,8,13 प्रत्येक किला के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण .018 है० चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जूर किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नहीं है॥ उक्त रास्ता की भूमि के बदले में चकनं0 3 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में कुल 1.181 है0 में से प्रार्थी विकास का 675/1181 हिस्सा में से 018 है० भूमि मुझ अप्रार्थी सं0 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाकर चक नं0 3 एम.एस.टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में से विकास का हिस्सा कम किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नहीं है ॥ इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 लाइलमी दर्ज की गई है॥ प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं0 3 एम.

एस.टी.एस.एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8,13 प्रत्येक किला के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण .018 है0 चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में मन्जूर किया जाकर चकनं0 3 एम. एस. टी. एस: एम. के खाता सं0 3/2 में कुल 1.181 है0 में से प्रार्थी विकास का 675/1181 हिस्सा में से 018 है0 भूमि मुझ अप्रार्थी सं0 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाकर चक नं0 3 एम.एस.टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में से विकास का हिस्सा कम किया जाता हैं तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नही है।

पत्रावली मे अप्रार्थीगण द्वारा सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाने के बाद बहस उभयपक्ष सुनी गयी, उभयपक्ष अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे तो उभयपक्ष को कोई उज्र एंव ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण में राजीनामा/सहमति का जवाब पेश होने व प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के प्रावधानो के सुसंगत होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक सहमति स्वीकार किया जाकर चक चक नं0 3 एम. एस.टी.एस.एम. के प0न0 185/339 मु0 31 किलानं0 3,8,13 प्रत्येक किला के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण .018 है0 चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है व चकनं0 3 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में कुल 1.181 है0 में से प्रार्थी विकास का 675/1181 हिस्सा में से . 018 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाकर चक नं0 3 एम. एस.टी. एस. एम. के खाता सं0 3/2 में से प्रार्थी विकास का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे उक्तानुसार स्वीकृत किये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 18/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी